राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः प.1(3)गृह–9/2018 जयपुर, दिनांकः– 02 NOV 2020

–:परिपत्रः–

विषयः– अन्य राज्य/राज्य के अन्य जिले तक क्षेत्रविस्तार के लिये जारी शस्त्र अनुज्ञापत्रों के पंजीकरण/नवीनीकरण के सम्बध में।

यह ध्यान में लाया गया है कि अन्य राज्य/राज्य के अन्य जिले तक के लिए जारी शस्त्र अनुज्ञापत्रों का क्षेत्रविस्तार समस्त भारतवर्ष/राजस्थान राज्य नहीं होने के कारण अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। शस्त्र अनुज्ञापत्रों के पंजीकरण/नवीनीकरण करने के सम्बध में पूर्व में समय–समय पर विभागीय परिपत्रो में समुचित दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है।

अतः ऐसे शस्त्र अनुज्ञापत्र धारक जिनके शस्त्र अनुज्ञापत्र का क्षेत्रविस्तार केवल अन्य राज्य/राज्य का अन्य जिला है तो उनके पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदन के साथ–साथ आवेदक से उनके अनुज्ञापन प्राधिकारी से जारी यात्रा अनुज्ञप्ति (FORM XI) की प्रति भी ली जावें, अनुज्ञप्ति का कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण होने पर क्षेत्रविस्तार में अपनी अधिकारिता तक संशोधन/निर्धारण किया जावें। अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी से जारी अनुज्ञापत्रों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु सत्यापन करने का प्रावधान परिपत्र क्रमांक प. 1(3)गृह–9/2018 पार्ट–1 दिनांक 30–05–2019 में किया गया है।

अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट के साथ–साथ पंजीकरण/नवीनीकरण के सभी प्रकरणों में अनुज्ञप्ति पर दर्ज आयुध व गोलाबारूद्व का निरीक्षण व आवेदक का स्थानीय सत्यापन भी किया जावें।

आज्ञा से,
29/10/2020
(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेटस्, राजस्थान।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(भवानी शंकर)
वरिष्ठ उप शासन सचिव,गृह

D/Circular